"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 178] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 29 अप्रैल 2016— वैशाख 9, शक 1938

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 27 अप्रैल 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-19/2007/सात-3 (पार्ट-3).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ भू-अभिलेख तृतीय श्रेणी अराजपत्रित (लिपिकीय एवं अलिपिकीय) सेवा भर्ती नियम, 2010 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

1. नियम 6 के उप-नियम (1) के खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

   "(क) सीधी भर्ती द्वारा या प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा,"

2. नियम 10 में, जहां कहीं भी शब्द "/साक्षात्कार" आये हों, का लोप किया जाये.

3. नियम 11 के उप-नियम (2) के खण्ड (दो) का लोप किया जाये.

No. F-1-19/2007/SEVEN-3 (PART-THREE). — In exercise of the power conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following Further amendment in the Chhattisgarh Land Record Class-III Non-Gazetted (Ministerial and Non - Ministerial) Service, Recruitment Rules, 2010, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. For clause (a) of sub-rule (1) of rule 6, the following shall be substituted, namely :-

"(a) By direct recruitment or by Competitive Examination,"

2. In rule 10, the word "/interview" whenever it occurs, shall be omitted.

3. Clause (ii) of sub-rule (2) of rule 11 shall be omitted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रमेश शर्मा, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.